[2025] 2 एससीआर 687: 2025 आईएनएससी 253

बैंक ऑफ बड़ौदा

बनाम

फारूक अली खान और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 2759/2025)

20 फरवरी 2025

[पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 95 के अंतर्गत आरंभ की गई व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को इस आधार पर अवरुद्ध करना कि देनदार के रूप में उसकी देयता का परित्याग हो चुका है, विधिसम्मत एवं न्यायोचित था?

शीर्ष टिप्पणियाँ

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 - धारा 95 - क्या उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1

के खिलाफ (आईबीसी) **के तहत व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही को रोकने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया:**

अभिनिर्धारित: निर्णयन प्राधिकरण ने दिनांक 16.02.2024 के अपने आदेश द्वारा दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) की धाराएँ 95 से 100 के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन किया है। उसने विशेष रूप से यह अवलोकित किया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सीमा-निर्धारण तथा गारंटी के परित्याग संबंधी उठाई गई आपत्तियों पर विचार, संकल्प पेशेवर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किया जाएगा। यह दृष्टिकोण विधिसम्मत है, क्योंकि आईबीसी की धारा 97 के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में ही संकल्प पेशेवर की नियुक्ति वैधानिक रूप से अनिवार्य की गई है।धारा 99 के अनुसार, संकल्प पेशेवर का यह दायित्व है कि वह प्रथम दृष्टया ऋण की अदायगी से संबंधित समस्त सूचना एवं साक्ष्य एकत्र करे तथा यह परीक्षण करे कि आवेदन धारा 94 अथवा 95 की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है या नहीं। ऋण के अस्तित्व का परीक्षण सर्वप्रथम संकल्प पेशेवर अपनी रिपोर्ट में करेगा और तत्पश्चात, जब निर्णय प्राधिकरण धारा 100 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय करेगा, तब वह उसका न्यायिक परीक्षण करेगा।

इस न्यायालय का मत है कि उच्च न्यायालय ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया, क्योंकि– प्रथम, उसने आईबीसी के अंतर्गत स्थापित वैधानिक तंत्र एवं प्रक्रिया को उसके स्वाभाविक क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व ही अवरुद्ध कर दिया; तथा द्वितीय, ऐसा करते हुए उसने ऋण के अस्तित्व के संबंध में एक निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया, जो

विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और जिसका निर्धारण आईबीसी की धारा 100 के अंतर्गत निर्णय प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में आता है।यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्नों के निर्णय हेतु वैधानिक अधिकरणों का गठन किया जाता है, तब उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते समय स्वयं को निर्णयकारी प्राधिकरण के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करता। वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही उस चरण तक भी नहीं पहुँची थी जहाँ निर्णय प्राधिकरण को ऐसा निर्धारण करना अपेक्षित था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने संकल्प पेशेवर की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पूर्व ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर लिया, जिससे आईबीसी के अंतर्गत निर्णय प्राधिकरण को अपने निर्णयात्मक कर्तव्यों के निर्वहन से वंचित कर दिया गया।वर्तमान वाद में संलग्न प्रमुख प्रश्न, जिनमें ऋण के अस्तित्व का तथ्यात्मक निर्धारण भी सम्मिलित है, आईबीसी के वैधानिक एवं विनियामक ढाँचे का अभिन्न अंग हैं। वस्तुतः, धारा 97 के अंतर्गत संकल्प पेशेवर की नियुक्ति का मूल उद्देश्य ही यह है कि वह निर्णय प्राधिकरण को उक्त निर्धारण में सहायक हो सके। अतः, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए वैधानिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था तथा न ही स्वयं उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था जो विधि द्वारा निर्णय प्राधिकरण को सौंपित है। [पैरा 9, 10, 11, 12]

उद्घृत निर्णयजन्य विधि

मोहम्मद एंटरप्राइजेज (तंजानिया) लिमिटेड बनाम फारूक अली खान **[2025] 1 एससीआर 177: 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 23 - पर भरोसा किया।**

दिलीप बी. जीवराजका बनाम भारत संघ **[2023] 16 एससीआर 562: (2024) 5 एससीसी 435;** *थानसिंह नथमल बनाम कर अधीक्षक, धुबरी* **[1964] 6 एससीआर 654: एआईआर 1964 एससी 1419;** *यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन* **[2010] 9 एससीआर 1: (2010) 8 एससीसी 110;** *आयकर आयुक्त बनाम छबील दास अग्रवाल* **(2014) 1 एससीसी 603;** *साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप* **/2023] 4 एससीआर 18: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 435;** *व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, मुंबई* **[1998] सप्लीमेंट (2) एससीआर 359: (1998) 8 एससीसी 1;** *हरबंसलाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड* **(2003) 2 एससीसी 107;** *भारत संघ बनाम वीएन सिंह* **[2010] 4 एससीआर 454: (2010) 5 एससीसी 579;** *उड़ीसा लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी के कार्यकारी अभियंता बनाम सीताराम राइस मिल* **[2011] 15 एससीआर 211: (2012) 2 एससीसी 108;** *राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य* **[2021] 3 एससीआर 406: (2021) 6 एससीसी 771 - संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016; दिवाला और **ऋणशोधन अक्षमता** (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019

प्रमुख शब्दों की सूची

व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही; न्यायिक समीक्षा; संविधान का अनुच्छेद 226; संकल्प पेशेवर की रिपोर्ट; ऋण का अस्तित्व; निर्णायक प्राधिकरण; व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही पर रोक; निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का प्रतिस्थापन।

मामले की उत्पति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की सिविल अपील संख्या 2759

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28.05.2024 के निर्णय और आदेश से 2024 की WP संख्या 6288 में

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण:

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, माधव कनोरिया, सुश्री श्रीदीपा भट्टाचार्य, सुश्री नेहा शिवहरे, सुमित अत्री, मैसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास अओर।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्तागण:

श्याम मेहता, सीनियर एडवोकेट, ईश्वर सिंह, शिवम सिंह, शिवरामकृष्णन सुश्री, वरद किलोर, विनय एन कुमार, गोपाल सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान कि गई
2. हमारे विचार का प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय दिवाला की धारा 95 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू की गई व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा को उचित रूप से लागू कर सकता था। **ऋणशोधन अक्षमता** संहिता, 2016 के तहत यह मानते हुए कि देनदार के रूप में उसकी देयता को माफ कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को 16.02.2024 के निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ लागू किया गया था, जिसमें एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति की गई थी और उसे धारा 95 के तहत आवेदन की जांच करने और आईबीसी की धारा 99 के तहत एक रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया गया था। तथ्यों, कानूनी प्रस्तुतियों और अनुसरण के कारणों पर विचार करने के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं और 16.02.2024 के आदेश के समय से न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को बहाल करते हैं, जिसमें समाधान पेशेवर को आईबीसी की धारा 99 के तहत प्रदान की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

3. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी सं. 1, एसोसिएट डेकोर लिमिटेड का प्रवर्तक एवं निदेशक था। यद्यपि कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है, तथापि वह वर्तमान

अपील का विषय-वस्तु नहीं है; यह अपील केवल प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही तक सीमित है।वर्ष 2010 से प्रारंभ होकर, कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी सं. 3 एवं 4, जो बैंकों के एक संघ हैं, से विभिन्न ऋण प्राप्त किए। उक्त ऋणों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 10.07.2014 को एक गारंटी विलेख निष्पादित किया।कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान में चूक किए जाने तथा उसके विरुद्ध सीआईआरपी प्रारंभ होने के उपरांत, अपीलकर्ता ने दिनांक 11.08.2020 को एक मांग सूचना जारी कर व्यक्तिगत गारंटी विलेख को प्रवर्तित किया तथा प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य जमानतदारों को ₹244 करोड़ की राशि अदा करने हेतु आह्वान किया।हालांकि, दिनांक 14.12.2020 के पत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य जमानतदारों ने ₹25 करोड़ की राशि को पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रस्तावित किया।

4. 22.02.2021 को दिवाला और दिवालियापन (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 20194 के नियम 7(1) के तहत फॉर्म बी में मांग नोटिस जारी करने के बाद, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए सहपठित नियम 7(2) के आईबीसी की धारा 95 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया।

5. निर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 16.02.2024 के आदेश द्वारा एक नियुक्ति की समाधान पेशेवर ने उन्हें आवेदन की जांच करने और

आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए आईबीसी की धारा 99 में प्रदान की गई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीमा और व्यक्तिगत गारंटी की वैधता और अस्तित्व पर उठाई गई आपत्तियों पर, निर्णायक प्राधिकरण ने ***दिलीप बी. जीवराजका बनाम*** *भारत संघ, 5* में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि *"व्यक्तिगत गारंटर के लिए* ***विद्वान****अधिवक्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे/आपत्तियों पर समाधान पेशेवर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उस पर व्यक्तिगत गारंटर की प्रतिक्रिया के बाद विचार किया जाएगा"*।

6. प्रतिवादी नंबर 1 ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, ताकि निर्णायक प्राधिकरण को उसके खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया याचिका पर विचार करने से रोका जा सके, मुख्य रूप से इस आधार पर कि एक व्यक्तिगत गारंटर के रूप में उसकी देयता माफ कर दी गई थी और निर्वहन किया गया था। उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष आक्षेपित आदेश के माध्यम से, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और माना कि व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 की गारंटर के रूप में देयता माफ कर दी गई थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने गारंटी और ऋण से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की जांच की। इसने आगे माना कि जीवराजका (सुप्रा) में यह न्यायालय एक ऐसे आवेदन पर विचार नहीं कर रहा था जो निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं था, और इस तरह इसे अलग

करता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अनुसार, निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 19.06.2024 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही का निपटारा किया।

7. हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम मेहता को विस्तार से सुना है।

8. हमारे विचार के लिए सरल प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ आईबीसी के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही को रोकने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया है। आईबीसी के भाग III, अध्याय III के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश के संबंध में वैधानिक योजना की सराहना करना आवश्यक है। इस न्यायालय ने *जीवराजका* (सुप्रा) में धारा 95 से 100 की संवैधानिक वैधता का निर्णय लेते हुए इसकी जांच की है और निम्नानुसार व्यवस्था दी है। धारा 94 के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन के अनुसरण में या धारा 95, निर्णायक प्राधिकरण धारा 97 के तहत एक संकल्प पेशेवर नियुक्त करता है।संकल्प पेशेवर आईबीसी 6 के भाग II (कॉर्पोरेट दिवालियापन से निपटने) और भाग III (व्यक्तिगत दिवालियापन से निपटने) के तहत अलग-अलग कार्य करता है।भाग III, अध्याय III के तहत, संकल्प पेशेवर आईबीसी की धारा 99 के तहत प्रदान की गई जानकारी को एकत्रित करने की एक सुविधाजनक भूमिका निभाता है, जिसमें संकल्प पेशेवर आवेदन की जांच करता है, यह

निर्धारित करता है कि ऋण चुकाया गया है या नहीं, और आवेदन के प्रवेश या अस्वीकृति की सिफारिश करते हुए निर्णायक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।7 इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद ही न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के न्यायिक कार्य धारा 100 के तहत शुरू होते हैं। इस स्तर पर, निर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि दिवालिया शुरू करने के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना है या नहीं।8 इन सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

> *"86.1. धारा 95 से धारा 99 IBC में परिकल्पित चरणों में कोई न्यायिक निर्णय शामिल नहीं है;*
>
> *[...]*
>
> *86.3. यह निवेदन कि न्यायिक प्राधिकारी द्वारा "क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों" को निर्धारित करने के उद्देश्य से सुनवाई की जानी चाहिए, जब वह धारा 97(5) आईबीसी के तहत एक संकल्प पेशेवर नियुक्त करता है, को खारिज कर दिया जाता है। उस स्तर पर ऐसे किसी न्यायिक कार्य पर विचार नहीं किया जाता है। उस स्तर पर ऐसी आवश्यकता को पढ़ने के लिए क़ानून को फिर से लिखना होगा जो न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में अनुमेय है;*
>
> *[...]*

> *86.6. कोई न्यायिक निर्धारण तब तक नहीं होता जब तक कि निर्णायक प्राधिकारी धारा 100 के तहत यह निर्णय नहीं लेता कि आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना है या नहीं। समाधान पेशेवर की रिपोर्ट केवल अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है और इसलिए न्यायिक प्राधिकरण को बाध्य नहीं करती है जब वह धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है*।

9. निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 16.02.2024 के अपने आदेश का पालन किया है आईबीसी की धारा 95 से 100 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया, और *जीवराजका* (सुप्रा) में उपरोक्त सिद्धांतों पर भी निर्भर है। यह विशेष रूप से देखा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 की सीमा और गारंटी की छूट के बारे में आपत्तियों पर समाधान पेशेवर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विचार किया जाएगा। यह सही तरीका है क्योंकि आईबीसी की धारा 97 के तहत एक संकल्प पेशेवर की नियुक्ति वैधानिक रूप से अनिवार्य है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *जीवराजका* (सुप्रा) में आयोजित किया गया है, निर्णायक प्राधिकरण इस स्तर पर किसी भी बिंदु पर निर्णय नहीं लेता है और संकल्प पेशेवर को नियुक्त करने से पहले ऋण के अस्तित्व के बारे में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 99 के लिए संकल्प पेशेवर को पहली बार में, ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में जानकारी और सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, और यह पता लगाना होता है कि आवेदन आईबीसी की धारा 94 या

धारा 95 की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। ऋण के अस्तित्व की जांच पहले संकल्प पेशेवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की जाएगी, और फिर न्यायिक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक रूप से जांच की जाएगी जब यह तय किया जाएगा कि धारा 100 के तहत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना है या नहीं।

10. इस वैधानिक योजना के आलोक में, जिसका निर्णय लेने वाले प्राधिकरण द्वारा पालन किया गया है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया: पहला, इसने आईबीसी के तहत वैधानिक तंत्र और प्रक्रिया को अपना काम करने से रोक दिया, और दूसरा, ऐसा करने के लिए, उच्च न्यायालय ऋण के अस्तित्व के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचा, जो कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो आईबीसी की धारा 100 के तहत निर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

11. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कानून और तथ्य के कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने और निर्धारित करने के लिए वैधानिक न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करते समय निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के रूप में खुद को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। वर्तमान मामले में, कार्यवाही उस स्तर तक भी नहीं पहुंची थी जहां न्यायिक प्राधिकरण इस तरह के दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। बल्कि, उच्च न्यायालय ने संकल्प पेशेवर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही अधिकार क्षेत्र

का प्रयोग किया, जिससे निर्णायक प्राधिकरण को आईबीसी के तहत अपना न्यायिक कार्य करने से रोक दिया गया।

12. जबकि उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का कोई बहिष्करण नहीं है, और संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीमाएं और संयम अच्छी तरह से व्यक्त किए गए हैं, वर्तमान मामले में शामिल प्राथमिक मुद्दे, जिसमें ऋण मौजूद है या नहीं, इस बात का तथ्यात्मक निर्धारण भी शामिल है, दिवाला और ऋणशोधन संहिता की वैधानिक और नियामक व्यवस्था का हिस्सा है। वास्तव में, धारा 97 के तहत एक संकल्प पेशेवर की नियुक्ति के पीछे पूरा तर्क निर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस निर्धारण को सुविधाजनक बनाना है। उच्च न्यायालय को क़ानून के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी और यह मानना चाहिए था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसने क्या किया था। इस मामले के दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय प्रतिवादी नंबर 1 की रिट याचिका को अनुमति देने में उचित नहीं था। उच्च न्यायालय को समाधान पेशेवर और निर्णायक प्राधिकरण के माध्यम से सांविधिक प्रक्रिया को अपना काम करने की अनुमति देनी चाहिए थी।

13. *मोहम्मद एंटरप्राइजेज (तंजानिया) लिमिटेड बनाम फारूक अली खान*, में उसी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए उसी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी कार्यवाही में हस्तक्षेप

करते हुए, हमने निम्नलिखित शब्दों में एक ही सिद्धांत व्यक्त किया:

> "*15... उच्च न्यायालय को यह ध्यान देना चाहिए था कि दिवाला और ऋणशोधन संहिता अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जिसमें पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन, उपचारात्मक रास्ते और अपील हैं। अनुशासनिक या औपचारिक निर्देश और प्रक्रियाओं का पालन कानूनी अनुशासन बनाए रखता है और व्यवस्था की आवश्यकता और न्याय की खोज के बीच संतुलन बनाए रखता है। उच्च न्यायालयों में निहित पर्यवेक्षी और न्यायिक समीक्षा शक्तियां महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी उनके अभ्यास के लिए कठोर जांच और विवेकपूर्ण आवेदन की आवश्यकता होती है। यह यह निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सीआईआरपी की कार्यवाही को रोकने का मामला नहीं* है।"

14. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और रिट याचिका संख्या 6288/2024 (जीएम-आरईएस) में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2024 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। नतीजतन, सीपी (आईबी) संख्या 139/BB/2022 में अपीलकर्ता का आवेदन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंगलुरु के रिकॉर्ड में बहाल हो गया है, और यह दिनांक

16.02.2024 के आदेश पारित होने के चरण से आगे बढ़ेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला 2021 से लंबित है, हम न्यायाधिकरण से अनुरोध करते हैं कि वह इसे जल्द से जल्द तय करे।

15. "खर्च/लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं"

16. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो वह भी निस्तारित (निपटाया) माना जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान *द्वारा तैयार की गई।*

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
मधु कुमारी के द्वारा *किया गया है।*